बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,
"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0-2, पटना-800001

कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक 2039 दिनांक 10.03.2021 द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में निगम के आदेश ज्ञापांक 4895 दिनांक 10.07.2021 द्वारा कुल-37 निम्नवर्गीय लिपिकों को राज्य खाद्य निगम के जिला कार्यालयों/निगम मुख्यालय, पटना में पदस्थापित किया गया था। कुछ निम्नवर्गीय लिपिकों द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान समर्पित नहीं किये जाने/योगदान के पश्चात् अनुपस्थित रहने एवं योगदान के पश्चात् त्याग पत्र समर्पित करने के कारण उनका दावा समाप्त किया गया है। प्रतिक्षा सूची के कॉलम 2 में अंकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम 7 में अंकित पद हेतु पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम 8 में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों को निदेश है कि वे पी0पी0ओ0/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अविलम्ब पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने एवं सेवा निवृति विभाग से प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियोजन रद्ध कर दिया जायेगा। नवपदस्थापन स्थान पर योगदान की तिथि से मानदेय आदि देय होगा।

क्र0	चयनियत अभ्यर्थी का नाम	सेवानिवृति का पद	गृह जिला	सेवानिवृति का कार्यालय	कोटि	पदनाम जिसके चयन किया गया है।	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अमित रंजन	पेटी ऑफिसर	पटना	भारतीय नौ सेना	पि0 वर्ग	निम्नवर्गीय लिपिक	दावा शाखा, निगम मुख्यालय, पटना।
2	श्री सुनिल कुमार	हवलदार	भोजपुर	आर्मी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	जिला कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, बक्सर।
3	श्री मुन्ना पाण्डेय	नायक, ए0सी0पी0-1 एल डी0	भोजपुर	आर्मी	सामान्य	निम्नवर्गीय लिपिक	जिला कार्यालय, राज्य खाद्य निगम, बेगूसराय।

शर्ते :-

(i). अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियोजित की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में अथवा सेवा निवृत कार्यालय से कोई प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्ध की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(ii). सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(iii). नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में ननजुडिसिएल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना आवश्यक होगा।

(iv). सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

(v). उल्लेखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।

K.M-23

20.10.21

(vi). अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।

(vii). संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरूद्ध नियमित नियुक्ति(यथा सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति) के उपरान्त पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(viii). इनके द्वारा भविष्य में की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल-अचल संपत्ति से की जायेगी।

(ix). अनुबंध की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(x). इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत वसूलनीय होगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
उप महाप्रबंधक,प्रशासन।

ज्ञापांकः-3:02:136:01:2021:- 7445 दिनांकः- 20.10.21

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित निम्नवर्गीय लिपिक(संविदा) को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः-सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/गोपनीय शाखा/विपत्र लिपिक निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः-आई0टी0 मैनेजर/कन्ट्रोल रूम प्रभारी को निगम के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.10.21

उप महाप्रबंधक,प्रशासन।